न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2019 (2019/00113) दर्ज दिनांक 28.01.2019

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. अनिल सिंह पिता मनोहर सिंह नाबा0 बवि0 माता गुड्डी बेवा मनोहर सिंह राव निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. विक्रम सिंह पिता मनोहर सिंह नाबा0 बवि0 माता गुड्डी बेवा मनोहर सिंह राव निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. गुड्डी बेवा मनोहर सिंह राव निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. कंकु कंवर पुत्री देवीसिंह राव निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. बख्तावर कंवर बेवा देवीसिंह राव निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता भगवतीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर
2. सुरेशचन्द्र पिता भगवतीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर
3. मोहनी देवी पत्नि ागवतीलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर
4. जगदीशचन्द्र पिता किशनलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर
5. गोविन्द पिता नारू सुथार निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मदन पिता नारू सुथार निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. गापी पिता नारू सुथार निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 भुणास, जरिये व्यवस्थापक
9. एसबीबीजे बैंक शाखा आमली, जरिये शाखा प्रबंधक आमली
10. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 ढोसर, जरिये व्यवस्थापक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

––विपक्षीगण

उपस्थिति   अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री अरविंद चौधरी
अधिवक्ता विपक्षीगण: श्री सुनिल बापना
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–09.10.2020

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रा[illegible] ने [illegible]क्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत [illegible]ढिया, पटवार क्षेत्र ढ़ोसर तह. सहाडा में प्रार्थीगण के खातेदा[illegible]काश्त की आराजी संख्[illegible] रकबा 0.36 है., 180 रकबा 0.34 हे0 अन्य आराजियात क सा[illegible]भूमि राजस्व खाता संख्[illegible] स्थित है। जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रस्तुत है।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित आराजी पर अपने पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ग्राम सतढूंढिया के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित तालाब की पाल के नीचे रास्ते पर होते हुए आगे दक्षिणी तरफ स्थित विपक्षी संख्या एक लगायत चार शामलाती आरायिजात संख्या 173 रकबा 0.47 हे0 की उत्तरी पाली से प्रविष्ट होकर आगे पश्चिमी पाली पर होते हुए आराजी संख्या 175 में प्रवेश कर दक्षिणी तरफ बढ़ते हुए विपक्षी संख्या पांच लगायत सात की आराजी संख्या 177 के उत्तर पश्चिमी कोने से प्रवेश कर आगे दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए अपनी आराजी संख्या 178 में प्रवेश के करीब 12 फीट चौड़े रास्ते का उपयोग उपभोग कर पैदल संज बैल गाडी सहित अपनी आराजी तक पहुंच कर काश्त करते आ रहे थे किन्तु विपक्षी संख्या पांच लगायत सात ने राजस्व रेकार्ड में किसी रास्ते का अंकन नहीं होने का नाजायज लाभ लेने की गरज से प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात तक आवागमन के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है और प्रार्थीगण को इस रास्ते पर आवागमन करने व आपराधिक कार्यवाही करने व लड़ाई झगड़ा करने की धमकी दी है जिससे प्रार्थीगण का अपने स्वामित्व की कृषि भूमियों का उपयोग उपभोग करना संभव नहीं हो पा रहा है।

यह कि प्रार्थी संख्या तीन व पांच जहां विधवा है, वंही विपक्षी संख्या एक व दो प्रार्थीया संख्या तीन के नाबालिग पुत्र है जिसके भरण पोषण का पूरा भार उस पर होकर काश्त एवं मजदूरी की एकमात्र आजीविका का साधन है किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण को अपनी भूमियों तक आवागमन में बाधा पहुंचाते है और सुगमतापूर्वक अपनी भूमि तक पहुंच व उसके उपयोग उपभोग तक स्वयं पैदल व कृषि उपकरणों सहित आवागमन को अवरूद्ध करते है जिससे प्रार्थीगण के लिए अपनी आराजी संख्या 178 व 180 तक पैदल, संज, बैल, गाड़ी, ट्रेक्टर सहित आवागमन हेतु कम से कम 12 फीट चौड़ा मार्ग राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि मुझ प्रार्थी की उक्त आराजियात मे आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 177 की उत्तर पश्चिमी कोने से प्रवेश कर आगे दक्षिण की तरफ ही है । उक्त रास्ते के अलावा मुझ प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजियात संख्या आराजी संख्या 178 व 180 किता दो कुल रकबा 0.70 हे0 तक संज, बैलगाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर एंव अन्य साधनों सहित आवागमन हेतु ग्राम सतढूंढिया के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित तालाब की पाल के नीचे रास्ते पर होते हुए आगे दक्षिणी तरफ स्थित विपक्षी संख्या एक लगायत चार शामलाती आरायिजात संख्या 173 रकबा 0.47 हे0 की उत्तरी पाली से प्रविष्ट होकर आगे पश्चिमी पाली पर होते हुए आराजी संख्या 175 में प्रवेश कर दक्षिणी तरफ बढ़ते हुए विपक्षी संख्या पांच लगायत सात की आराजी संख्या 177 के उत्तर पश्चिमी कोने से प्रवेश कर आगे दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए अपनी आराजी संख्या 178 में प्रवेश के करीब 12 फीट चौड़े रास्ते के उपयोग उपभोग को सुगम व अधिकारीक बनाने हेतु उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बावत आदेश जारी करवाने की कृपा करावें। इस हेतु श्रीमान के आदेशानुसार खातेदारी से कम होने वाली रास्ता भूमि के प्रतिफल की रा[illegible] तैयार है।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.01.2019 को [illegible] किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण [illegible] 0 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक प[illegible] दिये जाते है। विपक्षी सं0 9 व 11 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब देही बंद की जाती [illegible]

तहसीलदार सहाड़ा को प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मौका पर्चा अनुसार:–

यह कि वादिया द्वारा आराजी नं0 178 व 180 में आवागमन हेतु आराजी नं0 152, 175 व 177 में से रास्ता चाहा गया, आराजी नं0 152, 175 की पूर्वी मेड पर डोटेड रास्ता वना हुआ है आवागमन बाधित नहीं है। आराजी नं0 177 की उत्तरी मेड पर पत्थरों की कच्ची दीवार वनी होकर पत्थर के पायदान लगा रखे है जिस पर होकर व्यक्ति पश्चिमी मेड के सहारे – सहारे होते हुए आराजी नं0 178 में प्रवेश हेतु फली लगी हुई है।
यह कि मौके पर आराजी नं0 177 की उत्तरी मेड पर पत्थर की दीवार होने से पशु , हल , ट्रेक्टर आदी आ जा नहीं सकते है।

यह कि मौके पर वादिया ने उक्त राश्ते के अलावा अन्य रास्ता नहीं बताया तथा विपक्षी संख्या 5 व 6 के आराजी नं0 243 रास्ते से आराजी नं0 244 व 246 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे होकर आराजी नं0 180 में प्रवेश करता है। आराजी नं0 244 व 246 जो खातेदार अनोप कंवर पुत्री चम्पासिंह राव वगैरा निवासी सतढुंढिया के नाम दर्ज रेकार्ड है।

यह कि वर्तमान में आराजी नं0 178, 180 पर आराजी नं0 152, 175, 177 से व्यक्ति आ जा रहे है किन्तु आराजी नं0 177 में दीवार होने से पशु ट्रेक्टर आदी हेतु पहुंच मार्ग नहीं है।

यह कि वादिया द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार आराजी नं0 152 रकबा 0.22 हे0 में से 0.0250 हे0 , आराजी नं0 175 रकबा 0.40 हे0 में से 0.0480 हे0, आराजी नं0 177 रकबा 0.49 में से 0.0550 हे0 कुल रकबा 0.1280 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है। ग्राम सतढुंढिया की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 237408/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.1280 हे0 की मालियत 30389/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 60778/– रूपये होती है।

यह कि प्रतिवादी सं0 5 व 6 द्वारा उल्लेखित रास्ते अनुसार आराजी नं0 244 रकबा 0.66 हे0 में से 0.0440 हे0 तथा अराजी नं0 246 रकबा 0.52 हे0 में से 0.0311 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है। ग्राम सतढुंढिया की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 237408/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि 0.0751 हे0 की मालियत 17830/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 35660/– रूपये होती है।

यह कि वादिया द्वारा चाहे गये रास्ते व प्रतिवादी द्वारा उल्लेखित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में पृथक–पृथक स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी शामिल पत्रावली है।
यह कि मौके पर इनके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

यह कि मौके पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने जाहिर किया कि वादिया द्वारा चाहे गये रास्ते की एवज में भूमि के बदले भूमि चाहते है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को [illegible] रिलिफ अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। [illegible] के अधिवक्ता ने दौराने बहस विपक्षीगण संख्या 5 व 6 के हिस्से में भूमि [illegible] भूमि के बदले भूमि दिलवायी जाने अन्यथा प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। जिसका प्राथीगण के अधिवक्ता ने विरोध प्रदर्शन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार सहाड़ा की रिपार्ट व वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट से भी जाहिर आया कि विपक्षी संख्या 5 व 6 रास्ते की एवज में भूमि के बदले भूमि चाहते है। ग्राम सतढूंढिया प0ह0 ढोसर के प्रार्थीगण की आराजी नं0 178, 180 में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में पगडंडी बनी हुई है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ते के लिए विपक्षीगण 5 व 6 की आराजी संख्या 177 में से 0.0550 हे0 भूमि उत्तरी पश्चिमी मेड़ के कोने में से प्रार्थी की आराजी नं0 178 में पश्चिमी मेड के सहारे –सहारे दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते हेतु प्रभावित होती है। एवं इसकी एवज में प्रार्थीगण की आराजी नं0 178 में से 0.0550 हे0 भूमि विपक्षीगण संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का रास्ते के एवज में भूमि दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सहाड़ा को निर्देशित किया जाता हैं कि विपक्षीगण की ग्राम सतढूंढिया प0ह0 ढोसर की आराजी नं0 177 में से 0.0550 हे0 भूमि प्रार्थी की आराजी नं0 178 में पंहुचने के लिए 12 फिट चौड़ा रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नं0 178 में से 0.0550 हे0 भूमि विपक्षीगण के नाम पर बतौर खातेदारी दर्ज अभिलेख करें। तदनुसार नक्शें में तरमीम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

4.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner